

विवरणी

05-09-2020

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/सदिग्ध जमाबन्दीदार ~~लुकस~~
~~खाड़िया वगी~~ पिता - ~~औहन खाड़िया~~ को खास नोटिस निर्गत किया
 गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/सदिग्ध जमाबन्दीदार के ~~भतीजा जी~~
~~डुंगडुंग~~ द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम ~~किमैसैरा खाता सं~~
~~137~~ ~~खेसरा संख्या~~ ~~2000~~ ~~वर्ष~~ 2014-15 का लगान रसीद
 प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान ~~जी डुंगडुंग ने आपना लिखित~~
~~औहन गहिया~~ है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त ~~धन्य~~
~~कोई दस्तावेज नहीं~~ है। राजस्व
 उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख
 में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि
 पंजी ii में सदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार
~~सं खेसरा संख्या~~ ~~है~~ नहीं है। रा0अ0नि0 एवं अं0नि0 ने
 जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशांसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ~~लुकस~~
~~खाड़िया वगी~~ पिता - ~~औहन खाड़िया~~ ग्राम -
~~किमैसैरा~~ के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी
 सदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
किमैसैरा	72	137	—	2.00 ए

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के आधार पर उपरोक्त जमाबन्दी को निरस्त किया जाता है।

लेखापित
 05/09/2020
 अंचल अधिकारी,
 बोलबा।

05/09/2020
 अंचल अधिकारी,
 बोलबा।